



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

दूरभाष: 01334-244282, फ़ैक्स: 244282

वैबसाइट: ukpsc.gov.in

पत्रांक : 260 / 26 / उ.कु.प्रसा./ PCS (PRE) EXAM-21 / अतिगोपन-2 / 22-23,

दिनांक: 05 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2021 की उत्तरकुंजी के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या: 336/2022 (एस0/बी0) शोयब हुसैन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 04.07.2022 के अनुपालन में विषय-विशेषज्ञों की 06 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। विषय-विशेषज्ञों की समिति द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 के प्रथम प्रश्न पत्र-सामान्य अध्ययन की प्रश्न पुस्तिका सीरीज 'डी' के प्रश्न संख्या 106 (जो कि ए सीरीज का प्रश्न संख्या 47, बी सीरीज का प्रश्न संख्या 21 एवं सी सीरीज का प्रश्न संख्या 141 है।) के अन्तिम उत्तरकुंजी में दिये उत्तर विकल्प के सन्दर्भ में पुनर्विचार किया गया। विचारोपरान्त विषय-विशेषज्ञों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि प्रश्न पुस्तिका सीरीज 'डी' के प्रश्न संख्या 106 का उत्तर विकल्प 'D' ही सही है।

अतः माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या: 336/2022 (एस0/बी0) शोयब हुसैन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक: 04.07.2022 का अनुपालन आयोग द्वारा कर लिया गया है।

-Sd-
(कर्मन्द् सिंह)
सचिव।